पंचायत निगरानी संख्या : 305/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 305/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/149

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल 2. बसंत कुमार पुत्र श्री जीवराज कोठारी जाति जैन निवासी खीमेल तह. बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरुद्ध ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा मिसल संख्या 78/2022–23 पट्टा बुक संख्या 185 में दिनांक 06.12.2022 को जारी पट्टा न. 30 को निरस्त करवाने बाबत्।

–:निर्णय:–

दिनांक: 16.04.2025

प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली की ओर से पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत **मिसल संख्या 78/2022–23 पट्टा बुक संख्या 185 में दिनांक 06.12.2022 को जारी पट्टा न. 30** जारी किया गया जिसको निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई।

प्रस्तुत निगरानी याचिका अनुसार अप्रार्थी संख्या दो को सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल के द्वारा पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा संख्या 30 दिनांक 06.12.2022 क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का जारी किया गया है। जिसमें निम्न प्रकार की अनियमितता बरती गई:–

(क.) अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है क्योंकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत जारी किया गया है जो पूर्व में जारी पट्टा के नाप एवं कबुतर चबुतरा भूमि को सम्मिलित कर सम्पूर्ण भूमि का पट्टा संख्या 30 दिनांक 06.12.2022 नाप 1000 वर्गफीट का जारी किया गया है जबकि उक्त भूखण्ड में से 550 वर्गफीट भूमि का पट्टा बना हुआ था तथा शेष भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा विद्यमान बाजार दर से जारी किया जाना था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण भूमि का पट्टा जारी किया गया जो नियमों के प्रतिकुल होने से निरस्त योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 305/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि गाम पंचायत खीमेल द्वारा **मिसल संख्या 78/2022–23 पट्टा बुक संख्या 185 में दिनांक 06.12.2022 को जारी पट्टा न. 30** की वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमावें।

प्रस्तुत निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से काबिल अधिवक्ता ने निगरानी याचिका का जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 को आवासीय भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा बुक संख्या 185 के पट्टा क्रमांक 30 मिसल संख्या 78/2022–23 दिनांक 20.10.2022 को जरिये ग्राम पंचायत खीमेल के संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.12.2022 की अनुपालना में दिनांक 18.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 02 आवंटित किया गया जिसके पडौस का विवरण निम्न हैः– उत्तर में आम रास्ता व दरवाजा, दक्षिण में पड़त भूमि, पूर्व में तीनथूई धर्मशाला व पश्चिम में पुखराजजी रावल। उपरोक्त पड़ौस नाप बिचला प्लॉट पूर्व से पश्चिम 40 फीट एवं उत्तर से दक्षिण 25 फीट यानि कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट का हैं तथा ग्राम पंचायत खीमेल ने पट्टे की पूर्ण प्रक्रिया व नियमों का पालन करते हुए अप्रार्थी संख्या 02 को जारी किया हैं जिस पर ग्राम विकास अधिकारी नन्द किशोर, सरपंच रमेश कुमार, वार्ड पंच व दो साक्ष्य के हस्ताक्षर अंकित है। अप्रार्थी संख्या 02 के पिताजी जीवराजजी कोठारी के जीवनकाल में उक्त पट्टाशुदा भूमि पर उनका कब्जा आ रहा था इस आधार पर ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को उक्त भूखण्ड का पट्टा बनाकर जारी किया गया उक्त पट्टा बनने के बाद पट्टा उपपंजीयक कार्यालय में पंजीकृत करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से आवेदन किया जो सम्पूर्ण ग्राम बैठक में अनुमोदित की गई। दिनांक 20.03.2023 को अनुमोदित व प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा इसका विक्रय–विलेख दिनांक 13.06.2023 को नवीनीकरण किया गया जिस पर सील लगाकर सरपंच द्वारा प्रमाणित किया गया। इसके बाद दिनांक 29.08.2023 को बाली उपपंजीयक कार्यालय में उक्त पट्टे का पट्टा विलेख उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाया तथा उसके पश्चात दिनांक 16.05.2023 को बुक संख्या 7659 में अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया। इसके बाद अप्रार्थी संख्या 02 ने निर्माण कार्य करवाने हेतु ग्राम पंचायत खीमेल में आवेदन किया ,जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा कमठा ईजाजत दिनांक 20.03.2023 को स्वीकृत पत्र द्वारा जारी किया मकान क्रमांक 30/185 है व उसी दिन दिनांक 20.03.2023 को क्रमांक 1817 ग्राम पंचायत द्वारा निरापति प्रमाण पत्र जारी किया गया व कमठा अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा रसीद न. 1819 रुपये 900/– रुपये लेकर उक्त भूमि विक्रय पत्र पर निर्माण कार्य की अनुमति दी गई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 02 ने सम्पूर्ण नियमों की पालना करते हुए निर्माण कार्य कमठा अनुमति के आधार पर करवाया जा रहा है।

प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत खीमेल से तलब कर शामिल पत्रावली किया गया एवं बहस सुनने का निश्चय किया गया। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान अपना पक्ष

Scanned with OKEN Scanner

रखने हेतु कोई उपस्थित नहीं। अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या 02 ने बहस के दौरान जवाब पत्र में अंकित तथ्यों को इंगित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 ने किसी भी प्रकार के कोई नियमों की अवहेलना नहीं की हैं व उक्त पट्टा ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा नियमो के आधार पर व सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि परिसर में पिछले 50 वर्षों से अप्रार्थी संख्या 02 के पिताजी व वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 02 व उसका परिवार भूखण्ड पर काबिज है। प्रार्थी ने बिना किसी आधार के अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध रिविजन याचिका दायर की हैं जो रिविजन याचिका प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 02 को केवल मात्र तंग व परेशान करने की नियत से व खर्चे से जेरबाज करने की नियत से उक्त रिविजन याचिका दायर की गई हैं जो रिविजन याचिका विधि अनुरुप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता बज़तरफ अप्रार्थी संख्या 01 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम पंचायत खीमेल से मूल रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है, जिसका अवलोकन करावें। दस्तावेजी साक्ष्यों के अतिरिक्त अन्य कोई नवीन बिन्दु होने से इनकार किया।

अधिवक्तागण की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो तथा ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा प्रेषित प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण विश्लेषण उपरांत हस्तगत निगरानी के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दु उल्लेखनिय है:–

1. ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 श्री बसंत कुमार के पक्ष में आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 30 (मिसल संख्या 78 / 2022–23)बमाप 1000 वर्गफीट दिनांक 06.12.2022 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 06.12.2022 के अनुसरण में उक्त पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे की शर्त संख्या एक में अंकन है कि पूर्वोक्त आवंटिति का पचास वर्ष से अधिक से पुराने घर पर कब्जा है। अर्थात जैर निगरानी पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में जारी किया गया है, किन्तु अप्रार्थी संख्या 02 अर्थात पट्टाधारी ने अपने जवाबपत्र के पृष्ठ संख्या 3 पर ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा उनके पक्ष में 'भूखण्ड का पट्टा' जारी होने का स्वंय अंकन किया है। साथ ही, यह भी अंकन किया है कि ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा उक्त भूखण्ड पर कमठा–इजाज़त (निर्माण अनुमति) दिनांक 20.03.2023 को जारी की गई एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा इस पर दिनांक 16.05.2023 को विद्युत कनेक्शन जारी किया गया। अर्थात् पट्टा जारी होने की दिनांक 06.12.2022 के बाद पट्टे से संबंधित भूमि पर निर्माण कार्य एवं विद्यृत कनेक्शन प्रभाव मे आए है। इस संबंध में निगरानीकर्ता विकास अधिकारी, बाली द्वारा निगरानी के साथ प्रस्तुत तीन सदस्यीय

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 305 / 2024

उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जांच समिति की जाँच रिपोर्ट का अवलोकन प्रासंगिक है, जिसमें जैर निगरानी भूखण्ड के संबंध में पूर्व में एक पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 के पिता श्री जीवराज पुत्र मुल्तानमल जी के नाम से पट्टा संख्या 226 दिनांक 24.03.1963 बमाप 550 वर्गफीट का जारी होने का अंकन किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 226 दिनांक 24.03.1963 की पत्रावली में सलंग्न प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। दोनो पट्टो की चतुर्दशी एवं चारों भुजाओं के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि, जैर निगरानी भूखण्ड के संबंध में पूर्व में दिनांक 24.03.1963 को जारी पट्टा संख्या 226 (बमाप 550 वर्गफीट) की पश्चिम दिशा में कबुतरों का चबुतरा होना अंकित है तथा पश्चिम दिशा की तरफ उत्तरी भुजा 17 फीट तथा दक्षिणी भुजा 19 फीट की उक्त चबुतरे की भूमि को भी सम्मिलित करते हुए ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में सम्पूर्ण भूमि का पट्टा, जिसमें पूर्व पट्टा संख्या 226 दिनांक 24.03.1963 की 550 वर्गफीट भूमि भी सम्मिलित है, दिनांक 06.12.2022 को जारी कर दिया गया जिसके विरुद्ध विकास अधिकारी बाली द्वारा हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

जैसा की पूर्व पैरा में अंकित है कि कबूतरों के चबुतरे के रुप में अंकित भूमि को सम्मिलित करते हुए नियम 157(1) में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है, जबकि उक्त भूमि पर पट्टा जारी होने की दिनांक तक किसी प्रकार का निर्माण एवं विद्युत कनेक्शन नहीं था। **राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 का नियम 157 पुराने गृहों का विनियमितिकरण से संबंधित है, जिसमें खाली भूखण्ड का पट्टा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। श्री जीवराज पुत्र मुल्तानमल जी के नाम से जारी पूर्व पट्टे (पट्टा संख्या 226) की 550 वर्गफीट की भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 151 के अन्तर्गत निलामी समिति का गठन कर निलामी प्रक्रिया द्वारा अथवा नियम 156 के अन्तर्गत विद्यमान बाज़ार दर पर जारी किया जाना अपेक्षित था किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा शेष भूमि को भी सम्मिलित करते हुए नियम 157(1) के अन्तर्गत 1000 वर्गफीट का पट्टा जारी कर न केवल विधि के सुस्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है अपितु ग्राम पंचायत के राजस्व आय को भी हानि कारित कारित की गई है।**

2. ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड मिसल संख्या 78 / 2022–23 एवं बैठक कार्यवाही विवरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 02 ने जैर निगरानी पट्टे हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 20.10.2022 में इस तथ्य को छुपाया है कि आवेदित भूखण्ड के संबंध में पूर्व में एक पट्टा उनके पिता श्री जीवराज के नाम से दिनांक 24.03.1963 को जारी हो चुका है। ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा भी जैर निगरानी पट्टा जारी करने के संबंध में निष्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही यथा बैठक कार्यवाही, मौका निरीक्षण, आदेशिका इत्यादि में उक्त पूर्व पट्टे के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि पत्रावली में सलंग्न जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त पट्टा ग्राम पंचायत रिकॉर्ड में उपलब्ध है। इस

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 305/2024
उनवान : विकास अधिकारी बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खीमेल व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा संख्या 30 दिनांक 06.12.2022 निष्पादित कर न केवल पट्टे पर पट्टा जारी किया है जिसका राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में कोई प्रावधान नहीं है, अपितु पूर्व पट्टा दिनांक 24.03.1963 की पश्चिम दिशा में अंकित कबूतरों के चबूतरे की खाली भूमि को भी सम्मिलित करते हुए पुराने घर के रुप में कब्जा दिखाते हुए कुल 1000 वर्गफीट का पट्टा जारी कर विधिक त्रुटि भी कारित की गई है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी प.स. बाली द्वारा प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतीराज अधिनियम 1994 स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा श्री बंसन्त कुमार पुत्र श्री जीवराज कोठारी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 30 (बुक संख्या 185 ज़रिए मिसल संख्या 78/22–23) बमाप 1000 वर्गफीट निरस्त किया जाता है। चूंकि ज़ैर निगरानी पट्टे में पूर्व पट्टा संख्या 226 दिनांक 24.03.1963 बमाप 550 वर्गफीट बज़तरफ श्री जीवराज पुत्र श्री मुल्तानमल जी की भूमि को भी सम्मिलित करते हुए पट्टे पर पट्टा अर्थात् नवीन पट्टा जारी किया गया है, अतः पूर्व पट्टा दिनांक 24.03.1963 जैर निगरानी पट्टा जारी होने की दिनांक 06.12.2022 को स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया था। **अतः जैर निगरानी भूमि से संबंधित उक्त पूर्व पट्टा संख्या 226 दिनांक 24.03.1963 बमाप 550 वर्गफीट को भी निरस्त करने के निर्देश दिए जाते है।**

साथ ही, ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच, ग्राम पंचायत खीमेल द्वारा निलामी प्रक्रिया या विद्यमान बाज़ार दर के स्थान पर पुराने घर का कब्जा दर्शाते हुए अतिरिक्त भूमि का पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत की राजस्व आय को हानी पहूंचाई गई है, अतः विकास अधिकारी प.स. बाली को निर्देश दिए जाते है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने वाले सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खीमेल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव तीस दिन की अवधि के भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद पाली को प्रेषित कर न्यायालय हाजा में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला पाली

Scanned with OKEN Scanner